:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– अनील कुमार

मूकदमा नम्बरः–07/2021 नामान्तरण अपील

श्रीमती हांजु तत्कालीन पटवारी प.म. करावाडा तहसील झौथरीपाल हाल भू.अ.नि. ...त गामडीअहाडा त. बिछीवाडा जिला डूँगरपुर राजस्थान

–अपीलांट

बनाम

1 श्री प्रवीण पुत्र सुखलाल जाति जोगी उम्र बालीग निवासी करावाडा पोहरी तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

2 श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

–रेस्पोडेंट

अपील बनाराजगी नामान्तरण सं. 571 मौजा पोहरीपटेलान त. झौथरीपाल

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1 श्री मनीष कुमार कलाल एडवोकेट अपीलान्ट

2 श्री श्रीकान्त जैन एडवोकेट रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय :: **दिनांक 02/08/2021**

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि श्री प्रवीण पुत्र शंकर जाति जोगी निवासी पोहरी करावाडा ने एक प्रार्थनापत्र पेश कर स्वय् को सुखलाल पुत्र मरता जोगी का पुत्र होना बता, फोती इन्तकाल खुलवाने निवेदन किया, जिस पर सदभावी कार्यवाही करते हुए नामान्तरण दर्ज किया गया जो प्रमाणित भी किया गया है। अभी अन्य सहखातेदार द्वारा, एक नोटीस देकर अवगत करवाया कि उक्त नामान्तरण गलत खोला गया है जिसमें सुखलाल पुत्र मरता जोगी की लाओलाद मृत्यु हुई है जबकि प्रवीण जो कि शंकर जोगी का पुत्र है प्रवीण, जो कि सुखलाल का कोई पुत्र नहीं है चुकि सुखलाल ला ओलाद फोत हो गया है। ऐसे में खोला गया नामान्तरण खारीज फरमाया जावे। कि अन्य सहखातेदार की नोटीस प्राप्त होने पर, जॉच की गई, पता किया गया तो जानकारी हूई कि सुखलाल पुत्र मरता के कोई सन्तान नहीं है तथा उसकी लाओलाद मृत्यु हुई है। प्रवीण जो कि सुखलाल का पुत्र नहीं होकर शंकर जोगी का पुत्र है। ऐसे में नामानतरण खारीज किया जाना आवश्यक है। कि उपरोक्त नामान्तरण को शून्य व प्रभावहिन घोषित किया जाना आवश्यक है अन्यथा अकारण विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना है। अतः अपीलान्ट अपील स्वीकार कि जाकर नामान्तरण सं. 571 गॉव पोहरीपटेलान को निरस्त किये जाने आदेश प्रदान करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जा कर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया, रेस्पोडेन्ट प्रवीण मय एडवोकट श्रीकान्त जैन उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरण गलत दर्ज किया गया है।

कि तामिल कुनिन्दा की तामिल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रवीण पुत्र शंकर जाति जोगी निवासी पोहरी है जबकि मृत्क सुखलाल पुत्र मरता की कोई सन्तान नहीं होना पाया जाता है।

कि पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, बहस एकपक्षीय सुनी गई, अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाई जाती है।

अतः गॉव पोहरीपटेलान के नामान्तरण सख्या 571 स्वीकृत दिनांक 07/06/2017 को अपास्त/खारीज किया जाता है, तहसीलदार तहसील झौथरीपाल आदेश की पालना अवीलम्ब कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आज दिनांक 02/08/2021 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा